अध्याय - VI

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

6.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का सृजन तथा उन्नयन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने वित्त मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में पदों का सृजन व उन्नयन किया, तदर्थ नियुक्तियों पर दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया और राजकोश पर प्रतिवर्ष ₹ 3.22 करोड़ से अधिक आवर्ती वित्तीय भार वहन किया। सी पी सी बी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का निरंतर उल्लंघन, एम ओ ई एफ द्वारा अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अधीन इकाइयों पर नियंत्रण की कमी को दिखाता है

"जल नियम, 1975" के नियम 8 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) के अधीन एक स्वायत्त निकाय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) को ₹ 1600[70] के वेतनमान (तीसरे वेतन आयोग) के अधिकतम तक के पदों का सृजन करने की शक्ति प्रदत्त की गई। तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) ने मंत्रालयों/कार्यालयों में गैर – नियोजित तथा नियोजित पदों के सृजन और उन्नयन के नियमतीकरण हेतु समय–समय पर विविध निर्देश जारी किये। इसके मार्च 1994 के आदेशों के द्वारा, एम ओ एफ ने गैर–वैज्ञानिक पदों सहित सभी ग्रुप बी, सी तथा डी पदों के मामले में मंत्रालयों/कार्यालयों से नियोजित पदो के सृजन की शक्तियां वापिस ले लीं।

लेखापरीक्षा में सी. पी. सी. बी. द्वारा पदों के सृजन एवम् उन्नयन में तथा तदर्थ नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों से संबंधित मामलों में अनेक उल्लंघन पाए गए जो कि निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 10 सी पी सी बी द्वारा पदों के सृजन और उन्नयन का विवरण

क्रम संख्या	उल्लंघन की प्रकृति	अवधि जिसके दौरान इन पदों को सृजित किया गया	पदों की संख्या	वार्षिक वित्त निहितार्थ
1.	एम. ओ. एफ. के अनुमोदन के बिना सृजित पद	(क) दिसम्बर 1994 से जनवरी 2009 तक	62 पद (ग्रुप ए –2, बी–40, सी–10 और डी –10)	₹ 146.66 लाख[71]

[70] छठें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड–3 में पड़ता है।
[71] छठें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन (निम्नतम) तथा 65 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के आधार पर गणना की गई।

एम. ओ. ई. एफ. ने उत्तर दिया (फरवरी 2010) कि वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक पदो ंके प्रतिबंध से छूट एम.ओ.ई.एफ. द्वारा फरवरी 1988 में दी गई थी।

उत्तर स्वीकरणीय नहीं है क्योंकि ये सभी 62 पद गैर –वैज्ञानिक थे तथा मार्च 1994 में एम. ओ. एफ. द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में थे, जिसके अनुसार सभी गैर–वैज्ञानिक पदों के मामले में मंत्रालयों/कार्यालयों से पदो ंके सृजन के अधिकार को वापिस ले लिया गया था।

		(ख) सितम्बर 1994 से जून 2003	55 पद (ग्रुप बी–30 तथा सी–25)	₹ 83.92 लाख[72]

एम. ओ. इ. एफ. ने उत्तर दिया (फरवरी 2010) कि (i) सी पी सी बी द्वारा 28 पद गैर वैज्ञानिक श्रेणी में सितम्बर 2000 से पहलें गठित किए गये तथा (ii) एम. ओ. ई. एफ. ने सचिव (पर्यावरण व वन) के अनुमोदन से जनवरी 2008 में 27 वैज्ञानिक पदों का नियमितीकरण किया। एम. ओ. ई. एफ. ने आगे यह भी कहा कि एक दृष्टिकोण यह था कि सी. पी. सी. बी. जल (रोकथाम व प्रदूषण) नियम 1975 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों के व्यवहार में इन सभी पदो ंके सृजन में सक्षम थी।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मार्च 1994 में एम ओ एफ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न तो एम. ओ. इ. एफ. और न ही सी. पी. सी. बी. 28 गैर–वैज्ञानिक पदो ंके गठन के लिए अधिकृत थे। इसके अलावा, 27 पद जिनका वैज्ञानिक पद के रूप में नियमितीकरण हुआ था, वे वैज्ञानिक प्रकृति के नहीं थे।

क्रम संख्या	उल्लंघन की प्रकृति	अवधि जिसके दौरान इन पदों को सृजित किया गया	पदों की संख्या	वार्षिक वित्तीय निहितार्थ
2.	अस्थायी पद गठित किये गए परंतु रद्द नहीं किये गये	मार्च 1996	10 पद (2 निदेशक स्तरीय तथा 8 अतिरिक्त निदेशक स्तरीय)	₹ 91.36 लाख[73]

एम. ओ. ई. एफ. ने कहा (दिसम्बर 2011) कि इन पदों को 11 जनवरी 2010 के एक विनियमन के अधीन स्थायी (गैर–नियोजित) पदों में परिवर्तित कर दिया था।

मंत्रालय का उत्तर मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उक्त लिखित विनियमन ग्रुप "ए" की सेवा के लिए नियमों और शर्तों के पुनर्गठन की प्रणाली से संबंधित है तथा स्थायी पदों को अस्थायी पदों के परिवर्तन के मामलें से संबंधित नहीं है।

[72] सी पी सी बी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार।
[73] छठे आय आयोग के अनुसार मूल वेतन (निम्नतम) तथा 65 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के आधार पर गणना की गई।

क्रम संख्या	उल्लंघन की प्रकृति	अवधि जिसके दौरान इन पदों को उन्नत किया गया।	पदों की संख्या	वार्षिक वित्तीय निहितार्थ
3.	पदों का अनियमित उन्नयन	जुलाई 1996 से दिसम्बर 2006[74]	47 पद[75]	@

म. ओ. ई. एफ. ने कहा (फरवरी 2010) कि एक दृष्टिकोण यह था कि सी पी सी बी जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) नियम 1975 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों के व्यवहार में इन सभी पदों के सृजन/उन्नयन में सक्षम थी। इसके अतिरिक्त, 16 पदों के परिवर्तन के लिए एम ओ ई एफ का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। एम ओ ई एफ ने आगे सूचित (दिसम्बर 2011) किया कि (i) दस पदो के उन्नयन को वापस ले लिया गया था, (ii) दो पदों के उन्नयन के प्रस्ताव को एम ओ ई एफ को निर्दिष्ट कर दिया गया था तथा (iii) यद्यपि शेष 19 पदों का उन्नयन एम ओ एफ के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया थ, यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि समरूप बचत उपलब्ध थे।

एम ओ ई एफ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक पद का उन्नयन प्रभावी तौर पर एक पद के सृजन के समान होता है, और सभी पदों के सृजन के लिए एम ओ एफ के मार्च 1994 में जारी किए गए आदेश के अनुसार, उसके अनुमोदन की आवश्यकता थी।

4.	**डी ओ पी टी के अनुमोदन के बिना तदर्थ नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों को अनियमित रूप से जारी रखना**	**मार्च 1996 से जनवरी 2009**	**35 पद**	Ω

एम ओ ई एफ ने कहा (दिसम्बर 2011) कि वर्तमान में 20 कर्मचारी तदर्थ आधारित है। आगे, 2009 से कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई और भविष्य में, कोई तदर्थ पदोन्नति की जाएगी जोकि केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार नहीं थी।

हालांकि एम.ओ.ई.एफ. का उत्तर इन पदों के अनधिकृत संचालन की अवधि के नियमितीकरण के बारे में मूक था।

@ वार्षिक वित्तीय निहितार्थ, सी पी सी बी से विस्तृत सूचना के अभाव में निकल नहीं सकेगी।

Ω वार्षिक वित्तीय निहितार्थ निकाली नहीं गई है क्योंकि तदर्थ पदों/पदोन्नतियों में वार्षिक वित्तीय निहितार्थ आवर्तीजनक नहीं है तथा यह केवल संकेतिक अवधि पर निर्भर है।

[74] 29 पदों के उन्नयन की अवधि उपलब्ध नहीं है।

[75] सी पी सी बी ने गैर प्राधिकृत तरीके से लेखा अधिकारियों के दो पदों को ₹ 10,000–15200 के उन्नत मान पर संचालित करना जारी रखा, यद्यपि एम ओ ई एफ ने सी पी सी बी का 1995 से उसके परामर्श का अनुसरण न करने के लिए दायित्व तय करने का निवेदन किया था। दिसम्बर 2011 में सी पी सी बी ने उत्तर दिया कि इसने लेखा अधिकारी के इन दोनों पदों के उन्नयन को 1 अक्तूबर 2009 से वापिस ले लिया था, परंतु उत्तर इन पदों के नियमितिकरण के बारे में मूक था। एम ओ ई एफ ने एम ओ एफ की सहमति के बिना मई 2008 में 16 पदों के उन्नयन को भी अनुमोदित किया।

यह स्पष्ट है कि सी पी सी बी ने पिछले 15 साल में, विविध काडरों में पदों के सृजन/उन्नयन के लिए निर्देशों का अनेक बार उल्लंघन किया। इसने एम ओ एफ के अनुमोदन के बिना 127 पदों का सृजन एवं 47 पदों का उन्नयन किया। एम ओ ई एफ ने एम ओ एफ की सहमति के बिना मई 2008 में 16 पदों का उन्नयन अनधिकृत अनुमोदन किया। सी पी सी बी ने 35 मामलों में तदर्थ नियुक्तियों व पदोन्नतियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन किया। पदों के उन्नयन और सृजन के परिणामस्वरूप राजकोष पर वार्षिक अत्यधिक भार पड़ा जो कि ₹ 3.22 करोड़ प्रतिवर्ष के विस्तार से अधिक था।

अक्तूबर 2008 में, वित्त मंत्रालय ने कार्योत्तर के आधार पर सी पी सी बी में 32 पदों को नियमित करते समय, सलाह दी थी कि सी पी सी बी के उपनियमों को संशोधित किये जाने की जरूरत थी क्योंकि वे स्पष्ट तौर पर एम ओ एफ द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत थे। परिणामस्वरूप, एम ओ ई एफ ने 9 नवम्बर 2011 के इसके आदेशों द्वारा जल (रोकथाम व प्रदूषण नियंत्रण) नियम, 1975 के नियम 8 को अभिनिषेध करने का निर्णय लिया।

सी पी सी बी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का निरंतर उल्लंधन, एम ओ ई एफ द्वारा अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अधीन इकाइयों पर नियंत्रण की कमी को दिखाता है।